



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक-19.08.2025

थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 185/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट व मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/109(3)/352/324(4) BNS में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) व अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैन्डर बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.06.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री राहुल पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. सागर पुत्र पप्पू 2. रितिक पुत्र अरविन्द 3. कन्हैया पुत्र उपेन्द्र 4. निखिल पुत्र राजवीर समस्त नि0गण ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत 5. विशाल उर्फ पटवारी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के घर पर खडी बाइक नं0 UP-17V-



0922 को मांग कर ले गये व वादी द्वारा वापस मांगने पर वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा घर में तोडफोड की विरोध करने पर साथ लाये हथियारों से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार

पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/109/352/324(4) BNS पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा बिजवाडा बडावत नहर पटरी पर चैकिंग की जा रही थी उसी दौरान बाइक सवार अभियुक्तों को रुकने का इशारा किया गया अभियुक्तों द्वारा मोटरसाईकिल मोडकर भागने का प्रयास किया गया तथा मोटरसाईकिल फिसल गयी। अभियुक्त उठकर ईख के खेत में घुस गये तथा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुए बाद पुलिस मुठभेड अभियुक्त विशाल सोलंकी उर्फ पटवारी पुत्र देवेन्द्र निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत (25 हजार रुपये के इनामी) को (घायलवस्था में) व 01 अन्य अभियुक्त रितिक पुत्र अरविन्द निवासी जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैन्डर बरामद हुई है ।

अवगत कराना है कि गिरफ्तार अभियुक्त विशाल सोलंकी उर्फ पटवारी निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत थाना बिनौली के मु0अ0सं0 185/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट तथा मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/109(3)/352/324(4) BNS में तथा अभियुक्त रितिक निवासी जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/109(3)/352/324(4) BNS मे वांछित चल रहे थे ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विशाल सोलंकी उर्फ पटवारी पुत्र देवेन्द्र निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।(घायल)

2-रितिक पुत्र अरविन्द निवासी जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

**नोट-**श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा अभियुक्त विशाल सोलंकी उर्फ पटवारी पुत्र देवेन्द्र निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

**गिरफ्तारी का स्थान-** अभियुक्तों को दिनांक 19.08.2025 समय करीब 16.05 बजे थाना बिनौली क्षेत्रान्तर्गत बिजवाडा बडावत नहर पटरी पर सरकारी ट्यूबवैल से जौहडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है ।

### **बरामदगी का विवरण**

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैन्डर ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त विशाल सोलंकी उर्फ पटवारी का आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 185/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/109(3)/352/324(4) BNS थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 66/24 धारा 302/120बी भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त रितिक का आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/109(3)/352/324(4) BNS थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1-प्र0नि0 राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

- 2-उ0नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 11-है0का0 711 लेखराज थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 12-का0 301 मुलायम सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 13-का0 892 तेजवीर थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 19.08.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 419/2025 धारा  
191(2)/115(2)/117(2)/125/110/131/75/351(2)/352 बीएनएस में वांछित  
02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.07.2025 को थाना कोतवाली

बागपत पर वादी मोहसिन पुत्र महमूद निवासी मोहल्ला माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. साहिल पुत्र पप्पू 2. मारुक पुत्र पप्पू 3. सुहेल पुत्र पप्पू 4. शाहरुख पुत्र पप्पू 5. अमन



पुत्र नसीम 6. दिलशाद पुत्र नामालूम व 7. मोनू पुत्र शौकत निवासी गण मोहल्ला माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा गाली-गलौज करते हुए ईंटों से पथराव किया गया व अभियुक्त साहिल द्वारा धारदार छुरी से वार किया गया, जिसमें उसके भाई की पैर की उँगली टूट गयी। अभियुक्त मारुक ने वादी की नानी को जान से मारने की नियत से ईंट से उनके 04 दांत तोड़ दिये तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 419/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/117(2)/125/109/110/131/75/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 419/2025 धारा 191(2)/115(2)/117(2)/125/110/131/75/351(2)/352 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शाहरुख पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.सुहेल पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला माता कालोनी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ०नि० श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है०का० 765 रमेशचन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का० 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-का० 982 नीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



**प्रेस नोट जनपद बागपत**

**थाना कोतवाली बागपत दिनांक 19.08.2025**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1-प्रमोद कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी प्रिन्स स्वीट हाउस करबा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-आदिल पुत्र मंजूर निवासी कस्बा मुरादनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ०नि० श्री वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री राजकुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 688 अश्वनी कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



**प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बडौत**

**दिनांक 19.08.2025**

**थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 521/25 धारा  
191(2)/191(3)/115(2)/127(2)/109(1)/131/76 बीएनएस में वांछित 01  
अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01  
डण्डा बरामद ।**

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 17.08.2025 को थाना बडौत पर वादी आनन्द कुमार पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. सचिन पुत्र पप्पू 2. सोनू पुत्र पप्पू, 3. उत्तम पुत्र मोहन 4. आकाश उर्फ कोका पुत्र देवीसिंह 5. प्रवीन पुत्र कवाँर 6. कवाँर पुत्र नगीना 7. गौतम पुत्र मोहन 8. सुभाष पुत्र नगीना 9. आशू पुत्र सुभाष 10. विपिन पुत्र कवाँर निवासी गण ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत व 10-12 अज्ञात



व्यक्तियों द्वारा वादी व वादी के परिजनों के ऊपर लाठी-डण्डे से जान मारने की नियत से हमला करते हुए मारपीट की तथा वादी की मां व चाची के कपडे फाड दिए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 521/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/127(2)/109(1)/131/76 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 521/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/127(2)/109(1)/131/76 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सोनू पुत्र पप्पू उर्फ राजेन्द्र निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 डण्डा (घटना में प्रयुक्त)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 408 सुकवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 788 करन सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 19.08.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 506/25 धारा 105 बीएनएस में  
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 12.08.2025 को थाना बड़ौत पर वादी श्री देशपाल पुत्र श्री इलम सिंह निवासी करबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.संजीव 2. पारशनाथ निवासीगण अज्ञात द्वारा लापरवाहीपूर्वक बिजली की आपूर्ति चालू कर दी गयी, जिस कारण करन्ट की चपेट में आने से उसके पुत्र पंकज की मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 506/25 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 506/25 धारा 105 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान बयान वादी व अधिशाषी अभियन्ता बडौत के लिखित लेटर पत्राक 940/वि0वि0उ0ख0तृ0ब0/बडौत/2025 दिनांक 14-08-2025 के आधार पर निविदाकर्मी लाइनमेन 1.अमित तोमर पुत्र सतीष निवासी ग्राम रूस्तमपुर बाबली थाना बडौत जनपद बागपत व 2.नरेश तोमर उर्फ बिल्लू पुत्र सुवेसिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये हैं।



**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-**

- 1.नरेश तोमर उर्फ बिल्लू पुत्र सुबे सिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2.अमित तोमर पुत्र सतीश निवासी पट्टी राणा ग्राम रूस्तमपुर बाबली थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 115 प्रशान्त पंवार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 32 अंकुर शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।